<u>सीफीस में अग्नि सुरक्षा उत्पादों के नमूने के परीक्षण / मूल्यांकन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)</u>

सीफीस, अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ प्रयोगशाला है। इन क्षेत्रों में यह प्रयोगशाला विशेषज्ञ ज्ञान और नव उन्नत सुविधाएं/ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण है । अपने अदभुत कार्यक्षेत्र और विशेषज्ञता के कारण, सीफीस विभिन्न उत्पादों और सामग्रियों के परीक्षण के लिए सरकारी और साथ ही निजी एजेंसियों के नमूने प्राप्त करता है। इन उत्पादों और सामग्रियों का परीक्षण विभिन्न समूहों द्वारा प्रयोगशाला में उपलब्ध टेस्ट सुविधाओं के उपयोग से किया जाता है ।

1. **<u>कार्यक्षेत्र</u>** :

यह एसओपी केवल निम्नलिखित श्रेणी के अग्नि सुरक्षा उत्पादों के नमूनों के परीक्षण के आवेदन हेतु है :

1.1. डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद: ये श्रेणी-'ए' के उत्पाद के रूप में माना जाएगा और इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा। सशस्त्र बलों से प्राप्त अनुरोध को भी इस श्रेणी के तहत माना जाएगा और इस पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

1.2. रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद (देश में और देश के बाहर के निजी / अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पादों या जिन्हे इनके द्वारा विकसित किया गया है) जिसके लिए रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों से अनुरोध प्राप्त किया गया है, को श्रेणी-'बी' के अंतर्गत माना जाएगा तथा इस पर शुल्क देय होंगे ।

1.3. अन्य सरकारी विभागों (व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पाद, जिनकी देश के भीतर और बाहर निजी / अन्य एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की गई या विकसित किए गए) द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को श्रेणी-'बी' के तहत माना जाएगा और शुल्क देय होंगे। इसके लिए संकुल महानिदेशक (सैम) से स्वीकृति आवश्यक है।

1.4. निजी / अन्य एजेंसियों (देश के भीतर और बाहर दोनों) द्वारा विकसित उत्पादों को सीफीस में परीक्षण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि नूतन / प्रवर्तनकारी उत्पादों, जो निदेशक सीफीस की राय में डीआरडीओ / सशस्त्र बलों के लिए ऐसे उत्पाद जो भविष्य के लिए उपयोगी हो, या कोई ऐसा उत्पाद जिसके लिए देश में कहीं भी परीक्षण सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, के लिए परीक्षण सेवा प्राप्त कर सकते हैं । ये श्रेणी-'बी' के अंतर्गत माने जाएगें और शुल्क लागू होगा। इसके लिए संकुल महानिदेशक (सैम) से स्वीकृति आवश्यक है।

2.<u>संचालन-प्रक्रिया</u>

क) डीआरडीओ लैब से प्राप्त टेस्ट अनुरोधों को सीधे परीक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की स्थापनाएं जैसे एचएएल, बीईएल और अन्य रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से टेस्ट अनुरोधों को भी सीधे लिया जाएगा।

ख) अन्य सरकारी विभागों / संगठनों और निजी एजेंसियों से परीक्षण (टेस्ट) अनुरोधों को सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। उन्हें सीफीस में परीक्षण आवेदन जमा करने से पहले डीआरडीओ मुख्यालय में संकुल महानिदेशक (सैम) से मंजूरी लेनी होगी ।

2.1 <u>संकुल महानिदेशक (सैम) से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया</u>

क) सीफीस में उपलब्ध मानक परीक्षण सुविधाओं के तहत जो उत्पाद सूचीबद्ध नहीं हैं तथा नये उत्पादों / सामग्रियों के परीक्षण के लिए साथ ही भारत सरकार संगठनों (रक्षा मंत्रालय के संगठनों तथा डीआरडीओ प्रयोगशालाओं को छोड़कर) और निजी एजेंसियों के नमूने के परीक्षण / मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

ख) परीक्षण आवेदन को निम्नलिखित पते पर जमा करें :

संकुल महानिदेशक (सिस्टम विश्लेषण एवं मॉडलिंग)
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
कमरा सं 317, डीआरडीओ भवन
राजाजी मार्ग, **नई दिल्ली - 110011**
टेलीफोन: + 91-11-23792825, 23792942
फैक्स: + 91-11-23792946
उपरोक्त मामलों के नमूने संकुल महानिदेशक (सैम) से स्वीकृति के बाद ही परीक्षण के लिए स्वीकार किए जाएगें।

2.2 परीक्षण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया

परीक्षण शुल्क केवल दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा किए जाएंगे जो **"पीसीडीए (आर एंड डी), वेस्ट ब्लॉक, आर के पुरम, दिल्ली"** के पक्ष में होने चाहिए । नमूना के साथ परीक्षण शुल्क का भुगतान अग्रिम में होना चाहिए। भुगतान किए गए परीक्षण शुल्क की पुष्टि निम्नलिखित से की जा सकती है:

गुणवत्ता आश्वासन समूह

सीफीस, तिमारपुर, दिल्ली -110054

फोन: + 91-11-23907187, 23907237

फैक्स: + 91-11-23819547

2.3 सीफीस में परीक्षण के लिए नमूने देने वाले प्रतिष्ठान / एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य जानकारी

प्रतिष्ठानों / एजेंसियों को नमूनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा

क) सैम्पल/नमूने का बैच / लॉट नम्बर तथा उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग की तारीख

ख) मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी का विवरण

ग) रिकार्ड ऑफ चेन ऑफ कस्टड़ी तथा टेस्ट किए जाने वाले नमूने का मानक अनुसार मैटेरियल का कैमिकल कम्पोजिशन/पदार्थ की तकनीकी विशिष्टताएं

घ) नमूने के भंड़ारण के दौरान, गुणवत्ता विविधताएं उत्पन्न न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए नमूने को रखे जाने वाली परिस्थितियों की जानकारी ।

च) नमूना की रख रखाव/ सुरक्षित भण्ड़ारण के लिए सुरक्षा सावधानी

छ) शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित मानक (नवीनतम संस्करण) की प्रति

ज) परीक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य

झ) परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संपर्क विवरण।

3.<u>परीक्षण (टेस्ट) के लिए शर्ते</u>:

क) निदेशक (सीफीस) को बिना कोई कारण बताए, आवेदनकर्ता एजेंसी के किसी परीक्षण को निम्नलिखित परिस्थिति में अस्वीकार करने का अधिकार है : -

यदि ऐसी स्थिति हो कि उनके मुख्य कार्मिक तथा संसाधन प्रयोगशाला/प्रोजक्ट की क्रांतिक गतिविधियों में व्यवस्थता के कारण उपलब्ध न हो अथवा यदि नमूने की प्रमाणिकता अभिनिश्चित हो ।

अग्नि सुरक्षा उत्पादों हेतु टेस्ट <u>"अग्नि सुरक्षा उत्पाद की सूची''</u> के अनुसार ही किए जा सकते हैं।

ख) परीक्षण (टेस्ट) रिपोर्ट पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षण अनुरोध करने वाली एजेंसी द्वारा प्रदत पते पर भेज दी जाएगी । परीक्षण (टेस्ट) रिपोर्टों को सामान्य रूप से व्यक्तिगत रुप से नहीं दिया जाएगा हालांकि आपातकालीन स्थिति में संबंधित एजेंसी के

प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है ।